20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

453

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

===

निगरानी क्र- नि0/3653/III/-15 सन-2015

दिलीप कुमार आयु 35 वर्ष तनय श्री काशी प्रसाद सोनी

निवासी ग्राम रामपुर रा0 नि0 मण्डल ईशानगर तहसील

व जिला छतरपुर म0प्र0 हाल निवासी सिटी प्राईड स्कूल के

पास शांतिनगर कालौनी छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 . . निगरानीकर्ता

बनाम

1- नथुवा काछी (कुशवाहा) तनय दामोदर कुशवाहा

निवासी ग्राम रामपुर (कुर्रा) मजरा कुम्हारनपुरवा

तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

2- मध्य प्रदेश शासन .. .. गैरनिगरानीकर्ता

यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत ईशानगर तहसील व जिला छतरपुर द्वारा प्र0क्र0-39/अ-3/14-15 में पारित आदेश दिनांक-26.06.15 से दुखी होकर म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

=====================================

मान्यवर,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि ख0न0-356/2 रकवा 0.666 हे0 स्थित ग्राम रामपुर रा0 नि0 मण्डल ईशानगर तहसील व जिला छतरपुर पूर्व में म0प्र0 शासन की भूमि थी तथा उक्त भूमि अनावेदक क्र0-1 को शासकीय पट्टेदार का पट्टा प्रदाय किया गया था किन्तु पट्टा पाने से से बर्तमान तक उक्त अनावेदक क्र0-1 उक्त भूमि पर कभी काबिज नही रहा है किन्तु उक्त पट्टे की शर्तों को अनदेखा कर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3653-तीन/2015 जिला छतरपुर दिलीप विरूद्ध नथुआ व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार ईशानगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 39/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26-06-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-11-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 31/01/19	